संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्रमांक/03/प.क./स्थापना/ 2017/54 भोपाल दिनांक 19.01.2017

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,म.प्र.
समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,म.प्र.

संदर्भः– रिट अपील डब्लू.ए. 17/2017 म.प्र.शासन विरूद्ध सुखलाली गोले एवं अन्य में पारित आदेश।

विषयातंर्गत लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा याचिका क्रं. डब्लू.पी. कमांक 15551/2016 श्रीमति सुखलाली गोले विरूद्ध म.प्र.शासन में पारित निर्णय दिनॉक 06.12.2016 के विरूद्ध म.प्र.शासन ने माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर की मुख्य पीठ में माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं जस्टिस श्री एच.पी.सिंह में रिट अपील डब्लू.ए. 17/2017 म.प्र.शासन विरूद्ध सुखलाली गोले एवं अन्य प्रस्तुत की गई थी, जिसकी सुनवाई उपरांत संबंधित पीठ ने शासन के पक्ष में स्थगन आदेश दिया गया है, जिसके अंतर्गत ए.एन.एम./एल.एच.व्ही. की सेवानिवृत्ति की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि इस स्थगन आदेश के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से कोई निर्णय/आदेश पारित नहीं हो जाता, तब तक किसी भी सेवानिवृत्त ए.एन.एम. /एल.एच.व्ही. की उपस्थिति न ली जावे एवं यदि कोई ए.एन.एम./एल.एच.व्ही. सेवानिवृति उपरांत पेंशन हेतु निवेदन करती है तो उन्हें यथा शीघ्र शासन के नियमानुसार पेंशन प्रदाय की जाय। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाना सुनिश्चित करे।

संचालक (परिवार कल्याण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. कमांक/03/प.क./स्थापना/ 2017/55 भोपाल दिनांक 19.01.2017

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
4. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय ।

संचालक (परिवार कल्याण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश